-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बदौसा पुलिस द्वारा बकरा चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया बकरा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित अवैध तमंचा, कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदौसा पुलिस द्वारा बकरा चोरी करने वाल 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 30.06.2026 को कस्बा बदौसा की रहने वाली एक महिला सुनीता पत्नी जितेन्द्र ने थाना बदौसा पर अपने एक बकरे के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 01.07.2026 को थाना बदौसा पुलिस द्वारा बकरा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के बकरे व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है साथ ही अभियुक्तों की तलाशी के दौरान एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस भी बरामद हुए है।

बरामदगी-

- 01 बकरा (चोरी का)
- 01 मोटरसाइकिल (चोरी की घटना में प्रयुक्त)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सिकंदर खान पुत्र सिकदार खां, निवासी दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. अशोक उर्फ छोटू पुत्र दच्ची निवासी नदी टोला अंश थाना बदौसा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 122/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री लालाराम
2. का0 रिंकू सिंह निराला
3. का0 विशाल वर्मा